HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2398/2026

Smt. Sita Rajesh Verma W/o Shri. Rajesh Shamlal Verma,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashvin Garg, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Ashutosh Bhatia, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

20/04/2026

अयाची क्रम–1 राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा नोटिस स्वीकार किये गये, जिन्हें निर्देश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

अयाची क्रम–2/परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष भाटीया द्वारा उपस्थिति दी गई, जिनके द्वारा कार्यालय में वकालतनामा पेश किया जा चुका है, अतः भविष्य में उनका नाम दैनिक वाद सूची में उल्लेखित किया जावे।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण का निवेदन है कि पक्षकारों के बीच में भागीदारी फर्म व उसके लेन–देन को लेकर विवाद है, जिसके संबंध में Arbitration Proceeding लंबित है, उसमें सारे बिंदु उठाये जा चुके हैं, मामला पूर्णतः सिविल प्रकृति का है तथा वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट कानूनी प्रक्रिया के दुरूपयोग में दर्ज करवाई गई है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अयाची/परिवादी की ओर से न्यायिक निर्णय Accamma Sam Jacob Vs. The State of Karnataka and Anr. 2026 Supreme (SC) 391 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि दीवानी व

आपराधिक कार्यवाही समानांतर रूप से चल सकती है, उपरोक्त न्यायिक निर्णय में दस्तावेजों की कूटरचना आदि के संबंध में आरोप थे।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए याची–अभियुक्तगण द्वारा अनुसंधान में सहयोग करने की शर्त के साथ आगामी आदेश तक पुलिस थाना–तालेड़ा, जिला बून्दी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–46/2026 में गिरफ्तार नहीं किये जाने का अंतरिम आदेश दिया जाता है।

प्रकरण दो सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /56